राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1540/2024

सुमन ढाका **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.03.2024

आदेश की दिनांक : 02.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री शिवात्मा कुमार टांक, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में एएनएम के पद पर कार्यालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय में आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है और आदेश दिनांक 13.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी को जयपुर से फलौदी स्थानान्तरित किया गया है, जो 400 कि.मी. दूर है उसे स्थानान्तरण पर लगे प्रतिबंध के दौरान पदस्थापित किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी की हमेशा संतोषजनक सेवायें रही हैं और उसे राजनैतिक प्रभाव में आकर फलौदी पदस्थापित किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 13.03.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को जयपुर में निरंतर कार्य करने के आदेश सुनाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन एएनएम के पद पर कार्यालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय में आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है और आदेश दिनांक 13.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी को जयपुर से फलौदी स्थानान्तरित किया गया है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)